विश्वविद्यालय अनुदानआयोग
University Grants Commission
शिक्षामंत्रालय, भारतसरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुर शाहजफरमार्गनईदिल्ली– 110 002
Bahadur shah ZafarMarg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604329, 011-23604325

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

स्पीडपोस्ट

मई, 2022

मिसिल सं. 8-34/2018 (सी.पी.पी.–1/पीयू)

04 MAY 2022

कुलसचिव,
राधा गोविंद विश्वविद्यालय,
राधा गोविंद नगर, लालकी घाटी,
रामगढ़–829122,
झारखण्ड

विषयः **राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी घाटी, रामगढ, झारखण्ड** की स्थिति के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपके द्वारा भेजे गये पत्र RGU/ 22/2022. दिनांक–24.03.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ ळे कि **राधा गोविंद विश्वविद्यालय, राधा गोविंद नगर, लालकी घाटी, रामगढ़, झारखण्ड** राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा दिनांक11.10.2018 को स्थापित/अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय है और जहाँ आवश्यक हो, विभिन्न वैधानिक निकायों/परिषदों की अनुमति से अपने मेंन कैंपस में रेगुलर मोड में अध्ययन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट डिग्रियां प्रदान करने के लिये अधिकृत है। किन्तु विश्वविद्यालय ये पाठ्यकम तभी शुरू कर सकता है जब विश्वविद्यालय के पास आयोग तथा संबधित वैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अकादमिक तथा भौतिक सुविधायें, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, इत्यादि सुविधायें मौजूद हों, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शिक्षक तथा सहायक कर्मचारी आयोग /संबधित वैधानिक परिषदों के मानकों के अनुसार नियुक्त कर लिए हों।

राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ, का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की घारा 2(f) के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डॉ.नरेश कुमार शर्मा)
अवर सचिव